

2023/189

बाबुलाल पुत्र पुरखाराम वगैरा
जाति जाट

निवासी-धड़ोईनाड़ी जानियाना
तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर

अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)



बनाम

दुर्गाराम पुत्र हेमाराम वगैरा
जाति जाट


निवासी-धड़ोईनाड़ी जानियाना
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

मुकदमा संख्या 189/2023

123/2023

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|--|---|
| 19.5.2023 | महोदय यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत की तरफ से अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. के तहत पेश किया गया है। 1.कोर्ट फीस पूर्ण है। 2.वाछित दस्तावेज सलंगन/पूर्ण है। 3.प्रस्तुत आवेदन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। 4.अतः आवेदन दर्ज करने योग्य है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ  | |
| 19.5.2023 | सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.)बालोतरा यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत की तरफ से अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. के तहत पेश किया गया है। प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता ओर से निवेदन किया कि विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस तलबी जारी की जावें। रजिस्ट्री खर्चा प्रार्थी वहन करने के लिए सहमत है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर विप्रार्थीगण के नोटिस ए.डी. रजिस्टर्ड जारी हो। प्रार्थी अधिवक्ता को नोटिस दस्ती दी जावें। पत्रावली वारस्ते-विप्रार्थीगण की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 18.7.2023 को पेश हों।  सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा | |

18/7/23 वकील छापी उपस्थित/प्रीछामी
को शपीलरु नोतिक जारी हुए
को/को कि छक नह के छापीर
कामने वप्रतीर बे रुका वे प्रियाकी


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

की रिपोर्ट के साथ जोड़े हैं। जो पर्याप्त
 तथ्यात्मक नहीं हैं। जो पर्याप्त तथ्यात्मक
 से उपलब्ध नहीं होने के कारण
 इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना
 में सक्षम नहीं है। कमीशन (उपरोक्त) की
 वरिष्ठ वकील शील्ड वरिष्ठ पर मनन
 किया तथा दूसरे उपायों का भी
 शिथिलता दिया। विशेषतः उपाय वि
 प्रशासन के साथ संयोजन का बाद
 ऐसा किया गया, तथा संयोजन प्रस्ताव
 प्रस्ताव के तहत, भी जारी हो
 गए जो कानून, कमीशन वकील द्वारा
 सुनिश्चित करने, वादों वि
 कोणों का पेश करने पर सुनिश्चित
 दिनांक 11.11.2022 को बाद उपाय
 हुआ और उनके प्रस्ताव विचारित
 शील्ड का संयोजन प्रस्ताव भी जारी
 है जो उपाय का एक लक्ष्य उपायों
 के विचारित शील्ड में एक बड़ा
 निहित होने के कारण सुनिश्चित
 का पुनः विचार दिया जाता उपाय
 है। विशेषतः वादों रजिस्ट्रार नोडि
 तथ्यात्मक के उपलब्ध नहीं हैं जो
 इनके प्रति वेता है, कि उपायों का
 शिथिलता स्वीकार करने में उनके नोड
 स्वीकार है। शील्ड द्वारा में शिथिलता
 स्वीकार होगा है। शिथिलता उपायों का
 शिथिलता स्वीकार दिया गया सुनिश्चित (संयोजन
 10/2020 सुनिश्चित बनाम वादों प्रस्ताव
 जारी है। दिनांक 11.11.2022 को प्रस्ताव
 दिया गया बाद पुनः विचार करने में
 शिथिलता दिनांक 11.11.2022 को प्रस्ताव
 शील्ड वादों के प्रस्तावों के साथ उपाय
 शील्ड वादों के प्रस्तावों के साथ उपाय

(10/2020) सुनिश्चित
 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बलोनरा

10/2020 सुनिश्चित
 बनाम वादों प्रस्ताव